प्रारूप–घ

न्यायालयः–पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, डॉ. अंबेडकरनगर, जिला–इंदौर (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारीः–भरत कुमार व्यास)

सत्र प्रकरण क्रमांक 31/2021
अपराध क्रमांक–173/2020
फाईलिंग क्रमांक–2104/2021
सी.एन.आर. नं. एम.पी.0905002412–2021
संस्थित दिनांक 21.06.2021

//निर्णय//

(आज दिनांक **05 अगस्त 2025** को घोषित किया गया)

प्र.सू.रि./अपराध क्रमांक/पुलिस थाने का विवरण

अभियोजन/परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मानपुर
अभियोजन द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री आनंद नेमा विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. सचिन पिता जैराम, आयु–30 वर्ष, व्यवसाय–मजदूरी, निवासी–ग्राम फफूद कराडिया थाना मानपुर 02. राहुल पिता रामचंद्र सोलंकी, आयु–30 वर्ष, व्यवसाय–मजदूरी, निवासी–ग्राम आका सौदा थाना देपालपुर जिला–इंदौर
अभियुक्तगण द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री अनिल कैथवास अधिवक्ता ।

प्रारूप–ड़

अपराध की तारीख	04-07-2020
प्र.सू.रि. की तारीख	05-07-2020
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	04-03-2021
आरोपों के अपराध विवरण की दिनांक	17-12-2021
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की दिनांक	28-03-2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	22-07-2025
निर्णय की दिनांक	05-08-2025
दंडादेश यदि कोई हो, की दिनांक	निरंक

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्रं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किए जाने की दिनांक	अपराध धारा	परिणाम दोषसिद्धि/दोषमुक्ति	निर्णय अनुसार दंडादेश	धारा 428 द. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ के दौरान भोगी गई न्यायिक निरोध की अवधि
01	सचिन पिता जैराम	13.07.20	30.07.20	392 भा.द.सं.	दोषमुक्त	निरंक	16 दिन
02	राहुल पिता रामचंद्र सोलंकी	13.07.20	30.07.20				16 दिन

प्रारूप–च

अभियोजन/न्यायालयीन साक्षीगणों की सूची

क. अभियोजन

साक्षी कमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी
01	सलमान खान	पंचान साक्षी
02	रागिनी मांझी	चक्षुदर्शी/पीड़ित साक्षी
03	फत्तन सिंह भोंसले	अनुसंधानकर्ता
04	अनिल सादिया	अनुसंधान साक्षी
05	विक्रम सिंह जाट	पंचान साक्षी
06	विवेक सोनी	शिनाख्तीकर्ता
07	कमल उईके	विवेचक
08	मुन्नालाल डोडियार	कथन लेखकर्ता
09	राजेश देवड़ा	पंचान साक्षी

ख. प्रतिरक्षा/बचाव साक्षी यदि कोई हो

साक्षी की श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/बचाव/न्यायालयीन प्रदर्श दस्तावेजों की सूची

क. अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श	प्रदर्श दस्तावेजों का विवरण
01	प्रदर्श पी–01 व 02	गिरफ्तारी पत्रक
02	प्रदर्श पी–03 व 04	मेमोरेंडम धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
03	प्रदर्श पी–05	संपत्ति जप्ती पत्रक
04	प्रदर्श पी–06	लिखित आवेदन
05	प्रदर्श पी–07	नक्शा मौका
06	प्रदर्श पी–08	शिनाख्ती पंचनामा
07	प्रदर्श पी–09	सुपुर्दगीनामा
08	प्रदर्श पी–10	पूरक कथन
09	प्रदर्श पी–11	प्रथम सूचना रिपोर्ट
10	प्रदर्श पी–12	मोबाईल नंबर बाबत् शपथ पत्र
11	प्रदर्श पी–13	पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा/बचाव प्रदर्श दस्तावेजों की सूची

क्रमांक	प्रदर्श	प्रदर्श दस्तावेजों का विवरण
-	-	-

ग. न्यायालयीन प्रदर्श दस्तावेजों का विवरण

क्रमांक	प्रदर्श	प्रदर्श दस्तावेजों का विवरण
-	-	-

घ. आवश्यक दस्तावेज

क्रमांक	प्रकरण में जप्त मुद्देमाल सामग्री की संख्या	विवरण
-	-	-

(नि र्ण य)

(आज दिनांक **05 अगस्त 2025** को घोषित किया गया**)**

01— अभियुक्तगण पर यह आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 04.07.2020 को 03:30 बजे ए.बी. रोड ग्राम भिचौली फाटा मानपुर जिला इंदौर में फरियादी रागिनी से उसका मोबाईल वीवो—11 छीनकर लूट कारित की और ऐसा कृत्य किया जो धारा 392 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध है।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 04.07.2020 को फरियादी रागिनी ने थाना मानपुर में इस आशय का आवेदन पेश किया कि वह इंदौर से धामनोद जा रही थी। तब रास्ते में मोबाईल से बात करते समय 02 लोग बाईक पर आये और उसका मोबाईल छीनकर ले गये जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 173/2020 धारा 392 भा.द.सं. दर्ज हो विवेचना की गई। नक्शा मौका बनाया गया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। दिनांक 13.07.2020 को 02 संदिग्ध व्यक्ति सचिन और राहुल को पकड़ा, उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने मेमोरेंडम में पैशन प्रो मोटरसाईकिल से लूट कारित करना और लूट का मोबाईल राहुल की जेब में होना प्रकट किया जिसके आधार पर तलाशी लेने पर मोटरसाईकिल और मोबाईल जप्त किया गया। जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में नायब तहसीलदार कार्यालय टप्पा मानपुर से शिनाख्ती कराई गई। शेष विवेचना पूर्ण होने पर अंतिम प्रतिवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद उपार्पण उपरांत प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03— अभियुक्तगण को निर्णय की कंडिका 01 में उल्लखित आरोप पढकर सुनाये समझाये जाने पर उन्होंने अपराध अस्वीकार किया ओर विचारण चाहा। धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजन साक्ष्य में आये तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रश्नावली तैयार कर अभियुक्तगण का परीक्षण लिये जाने पर उन्होंने स्वयं को निर्दोष होना और कोई अपराध न करना बताया है और प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य न देना प्रकट किया।

04— <u>प्रकरण के निराकरण के लिये आवश्यक विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :—</u>

01— क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.07.2020 को 03:30 बजे ए.बी. रोड ग्राम भिचौली फाटा मानपुर जिला इंदौर में फरियादी रागिनी से उसका मोबाईल वीवो—11 छीनकर लूट कारित की?

02— यदि हां तो दण्ड?

(सकारण—निष्कर्ष)

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक—01</u>

05— इस संदर्भ में प्रकरण में फरियादी रागिनी (अ.सा.02) ने व्यक्त किया है कि वह इंदौर से धामनोद जा रही थी। महू फाटे के समीप ब्रिज के पास 02 अज्ञात लड़के आये और उसकी स्कूटी रोककर मोबाईल छीन लिया। उसने पीछा किया पर वह पकड़ में नहीं आये। उसके द्वारा थाने पर लिखित आवेदन दिया था जो प्रदर्श पी—06 है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी—07 बनाया था। प्रकरण में साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर पूछे जाने वाले सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति लेकर किये गये प्रश्नों में साक्षी ने अभियोजन मामले का कोई समर्थन नहीं किया है और प्रकट किया है कि दोनों लड़कों के चेहरे पर मास्क था इसलिये वह उनका चेहरा नहीं देख पाई थी। प्रकरण में

रागिनी (अ.सा.02) के संपूर्ण कथनों का अवलोकन करें तो घटना के संबंध में साक्षी के कथनों में विरोधाभास आये हैं, परंतु यह विरोधाभास तात्विक प्रकृति के न होकर प्रकरण में घटना दिनांक को 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फरियादी के आधिपत्य से उसका मोबाईल छीनने के कथनों का विनिर्दिष्ट रूप से समर्थन करते हैं। तब ऐसे में घटना दिनांक को फरियादी के आधिपत्य से संपत्ति की लूट होना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है।

06– प्रकरण में जप्ती–गिरफ्तारी के संबंध में कमल उईके (अ.सा.07) ने व्यक्त किया है कि अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–01 व 02 का बनाया था। सचिन से पूछताछ करने पर उसने मोटरसाईकिल जप्त कराना और राहुल की जींस की जेब में मोबाईल होना बताया था। राहुल से पूछताछ करने पर राहुल ने जींस की जेब में मोबाईल होना और बरामद कराना प्रकट किया था। साक्षी ने व्यक्त किया कि उक्त मेमोरेंडम के आधार पर सचिन से मोटरसाईकिल और और राहुल के जींस की जेब से मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाना प्रकट किया है।

07– हस्तगत मामले में जप्ती–गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षी सलमान (अ.सा.01) व राजेश (अ.सा.09) ने कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है। साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति लेकर किये गये प्रश्नों में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो मेमोरेंडम, जप्ती व गिरफ्तारी को प्रमाणित करते हों। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि स्वतंत्र साक्षियों ने मामले का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में पुलिस अधिकारी के कथनों पर युक्तियुक्त संदेह कारित होता है। इस संदर्भ में न्यायदृष्टांत **नाथूसिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य ए.आई.आर.1973 एस.सी. 2783** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि मात्र पंच साक्षियों के पक्षद्रोही हो जाने से पुलिस अधिकारियों के कथनों पर अविश्वास करना उचित नहीं है परंतु स्वतंत्र साक्षियों द्वारा मामले का समर्थन न करने से पुलिस अधिकारी के कथनों पर सूक्ष्मता से विचार किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

08– प्रकरण में श्री कमल उईके (अ.सा.07) के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन करें तो साक्षी यह स्वीकार करता है कि अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसके द्वारा अभियुक्तगण की कोई शिनाख्ती फरियादी से नहीं कराई है जिस बाबत् व्यक्त किया है कि अभियुक्तगण की जमानत हो चुकी थी परंतु जमानत, गिरफ्तारी के तुरंत बाद हुई है यह अभिलेख से दर्शित नहीं होता है। हस्तगत मामले में जप्ती–गिरफ्तारी और मेमोरेंडम का अवलोकन करें तो प्रकरण में मेमोरेंडम, जप्ती–गिरफ्तारी थाना मानपुर में होना बताई है। अपराध क्रमांक 173/2020 दर्ज हुआ जबकि पुलिस कथानक अनुसार मानपुर में बस स्टैंड पर अभियुक्तगण थे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने दिनांक 04.07.2020 की घटना के पश्चात् दिनांक 13.07.2020 को अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध लिखाई गई रिपोर्ट में जिसमें कोई वाहन नंबर भी उल्लेखित नहीं था। अचानक अभियुक्तगण को क्यों गिरफ्तार किया इसका कोई उल्लेख अभिलेख पर नहीं है। मेमोरेंडम जिसके संदर्भ में पूछताछ करते समय पुलिस को संबंधित अपराध की जानकारी दी थी उसमें प्रश्नगत वाहन का अपराध क्रमांक दर्ज होकर कार्यवाही हुई है जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं लिया गया।

09— प्रकरण में जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—05 अभियुक्तगण से सामूहिक बनाया गया है जबकि अभियुक्त राहुल से अलग जप्ती हुई है और सचिन से अलग जप्ती हुई है। इस संदर्भ में कमल उईके (अ.सा.07) से प्रश्न किये जाने पर भी उसने ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया था कि प्रदर्श पी—05 का जप्ती पत्रक संयुक्त रूप से कैसे तैयार हुआ और दोनों अभियुक्तगण का जप्ती पंचनामा अलग—अलग क्यों तैयार नहीं किया गया। प्रतिपरीक्षण की कंडिका—09 में इस बाबत् प्रश्न किये जाने भी साक्षी ने कोई विनिर्दिष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

10— प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हैं और मेमोरेंडम, जप्ती व गिरफ्तारी बिना किसी ठोस आधार के की गई है। मेमोरेंडम में अपराध क्रमांक दर्ज है जबकि पुलिस कथानक अनुसार अभियुक्तगण के पास बिना नंबर की गाड़ी होने के बाद उनसे पूछताछ करके मेमोरेंडम तैयार किये गये हैं। तब यह सभी तथ्य पुलिस अधिकारी के कथनों पर तात्विक प्रकृति के विरोधाभास प्रकट करते हैं। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **समरथ मधुरिया विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2005 (01) एम.पी. डब्ल्यू.एन. 59, राकेश विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2005 (02) एम.पी. डब्ल्यू.एन. 46 एवं मांगीलाल विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2006 (02) एम.पी. डब्ल्यू.एन. 11** अवलोकनीय हैं जिनमें प्रतिपादित किया है कि जहां पुलिस अधिकारी की साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास हों और स्वतंत्र पंच साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुये हों वहां अभियोजन मामले पर संदेह कारित होता है। इस प्रकरण में सभी पुलिस अधिकारियों के कथनों में मुख्य घटना के बारे में ही तात्विक विरोधाभास विद्यमान हैं और स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही रहे हैं तब ऐसे में इतने बड़े विरोधाभास के आधार पर निश्चित रूप से इस मामले पर भी युक्तियुक्त संदेह कारित होना प्रकट होता है।

11— प्रकरण में अभियोजन का एक तर्क यह रहा है कि अभियुक्त से जो मोबाईल जप्त हुआ है वह फरियादी ने सुपुर्दगी पर लिया है और उस पर अभियुक्तगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई है। ऐसे में जप्तशुदा संपत्ति वही है जो फरियादी के आधिपत्य से लूटी गई है यह तथ्य अभिलेख से प्रमाणित होता है। इस संबंध में यह सही है कि प्रकरण में संपत्ति सुपुर्दगी पर दी गई है, परंतु सुपुर्दगी का उद्देश्य संपत्ति को विचारण काल तक सुरक्षित स्थान पर रखना होता है। संपत्ति सुपुर्दगी पर दी गई है या ऐसी सुपुर्दगी पर अभियुक्त ने आपत्ति नहीं ली है। इस आधार पर पारिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियों को प्रमाणित मान लेना उचित नहीं है।

12— अतः हस्तगत मामला जहां फरियादी द्वारा अभियुक्तगण की पहचान नहीं की गई एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तब ऐसे में यह मामला एक पारिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में न्यायदृष्टांत **शरद बिरदीचंद सारडा विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर.1984 सु.को. 1622** अवलोकनीय है, जहां प्रतिपादित किया है कि पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में परिस्थिति की कड़ियां एक—दूसरे से इस रूप में जुड़ी होनी चाहिये कि उनसे केवल अभियुक्त की दोषसिद्धि ही दर्शित हो सकती हो। हस्तगत मामले में जप्ती व गिरफ्तारी के संबंध में कड़ियां एक—दूसरे से पूर्णतः नहीं जुड़ती हैं। तब ऐसे में अभियोजन पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

13– अतः अभियोजन प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 04.07.2020 को 03:30 बजे ए.बी. रोड ग्राम भिचौली फाटा मानपुर जिला इंदौर में फरियादी रागिनी से उसका मोबाईल वीवो–11 छीनकर लूट कारित की। अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त करता है।

14– अभियुक्तगण के जमानत मुचलके अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर भारमुक्त किये जाते हैं। अपील होने पर जमानत मुचलके धारा 437 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मान्य किये जायें।

15– प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल पूर्व से सुपुर्दगी पर है। प्रकरण में मोबाईल के संबंध में कोई आपत्ति नहीं ली गई है। अतः सुपुर्दगीनामा अपीलावधि पश्चात् अपील न होने की दशा में सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जाये। प्रकरण में जप्तशुदा बिना नंबर की पैशन प्रो मोटरसाईकिल उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाई जाये। 06 माह तक अगर पंजीकृत स्वामी नहीं मिलता है तो अभियोजन संपत्ति विक्रय कर उसकी राशि राजसात करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

16– निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी जिला इंदौर की ओर प्रेषित की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–
(भरत कुमार व्यास)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश,
डॉ. अंबेडकर नगर, जिला इंदौर

सही/–
(भरत कुमार व्यास)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश,
डॉ. अंबेडकर नगर, जिला इंदौर